

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ 226007 (उ.प्र.) भारत
University of Lucknow
Lucknow-226007 (U.P.) INDIA

संख्या
दिनांक.....

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/इंचार्ज
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सहयुक्त महाविद्यालय (लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली)
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

विषय:- स्वतंत्रता के अमृत काल में संविधान दिवस 26.11.2024 के उपरान्त सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष पर्यन्त विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया संलग्न प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-500/90-सं-2-2024, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न भारत सरकार एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के माध्यम से स्वतंत्रता के अमृत काल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" की टैगलाइन के अन्तर्गत अभियान के रूप में विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के क्रम में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर संसदीय कार्य विभाग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः मा0 कुलपति के आदेश के अनुपालन में संसदीय कार्य विभाग के संलग्न पत्र में दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वतंत्रता के अमृत काल में संविधान दिवस (26.11.2024) के उपरान्त सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष पर्यन्त विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर प्रत्येक दशा में तीन कार्य दिवसों में कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि संसदीय कार्य विभाग को ससमय उक्त सूचना से अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(विद्यानन्द त्रिपाठी)
कुलसचिव

GA-779-82

संख्या-..... दिनांक-15/01/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रतिकुलपति, प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-500/90-सं-2-2024, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 के क्रम में सूचनार्थ।
- ✓ 4. इंचार्ज वेबसाइट को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महाविद्यालयों के लिंक पर अपलोड करने तथा समस्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. कार्यालय प्रति।

15/1/2025
कुलसचिव



प्रेषक,

जे०पी० सिंह-II
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
समस्त विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

संसदीय कार्य अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 18 दिसम्बर, 2024

विषय:- स्वतंत्रता के अमृत काल में संविधान दिवस (26-11-2024) के उपरान्त सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्गत भारत सरकार के अर्द्धशा0पत्र संख्या-21035/3/2020-Spl.Cell दिनांक 20-11-2024 एवं तत्क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-03 भा०स०/90/स०-2-2024 दिनांक 22-11-2024 (छायाप्रतियां संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता के अमृत काल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" की टैगलाइन के अन्तर्गत विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें मुख्य कार्यक्रमों का निम्नवत उल्लेख है:-

(क) 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14-04-2025 से 28-04-2025 तक)

(i) प्रदेश की सभी पंचायतों में "संविधान स्वाभिमान यात्रा" का आयोजन MyBharat volunteers द्वारा बाबा साहब डा० बी०आर० आंबेडकर के संविधान का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित पंचायत द्वारा इसका आयोजन किया जायेगा। उक्त यात्रा का आयोजन प्रत्येक पंचायत में गांव के एससी / एसटी बाहुल्य क्षेत्रों एवं पंचायत के मुख्य ग्राम में किया जायेगा।

(ii) "संविधान स्वाभिमान यात्रा" के दौरान जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा उपलब्ध हो, वहाँ उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की जाय।

(ख) निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार वर्ष-पर्यन्त कार्यक्रम का आयोजन:

(i) सम्पूर्ण प्रदेश में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के तथ्य पर बल दिया जाय।

(ii) सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में संविधान के अनुच्छेद 51क के अन्तर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का पाठन एवं उसकी व्याख्या की जाय। जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाय।

(iii) संविधान सभा के सदस्यों से सम्बन्धित ग्रामों में संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान को रेखांकित करते हुए विशेष समारोह का आयोजन किया जाय।

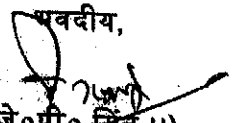
(iv) स्थानीय स्कूलों/कॉलेजों में संविधान के उपबन्धों, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार/कर्तव्य/राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं संविधान में किए गए नवीन संशोधनों आदि के सम्बन्ध में क्विज का आयोजन किया जाय।

(v) स्कूल/कालेजों में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा संवैधानिक मुद्दे जिसमें विशेष रूप से सामाजिक सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता से सम्बन्धित चुनौतियों का सामना संविधान के माध्यम से किए जाने हेतु एवं संविधान में समय-समय पर किए गए वृहद एवं नवीन संशोधनों के आलोक में

08.1.25

7.1.25

- (vi) <https://www.mygov.in> पर स्कूली बच्चों को MyGov competitions के माध्यम से प्रतिभाग जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।
- (vii) सभी पंचायतों/स्कूलों में स्थानीय भाषा में संविधान की प्रस्तावना की बॉल पेंटिंग की जाय।
- (viii) संविधान सभा की डिबेट्स के अनुवाद पर विशेष मीडिया कवरेज की जाय तथा अनुवादित सामग्री की उपलब्धता राज्य के पुस्तकालयों में संरक्षित किया जाय।
- 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार एवं मुख्य सचिव महोदय के उक्त संदर्भित पत्रों में दिए गए दिशा-निर्देशों के आलोक में कृपया दिनांक 14-04-2025 से दिनांक 28-04-2025 तक प्रदेश के समस्त जिला पंचायतों, विकास खण्डों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम सभाओं में "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" के टैग लाईन वाले पोस्टर, बैनर एवं झंडे के साथ प्रभात फेरियों का आयोजन कराते हुए प्रभात फेरी समाप्ति स्थल (एस0सी0/ एस0टी0 बाहुल्य क्षेत्र में अमृत सरोवर स्थलों पर बाबा साहेब बी0आर0 आंबेडकर की मूर्ति अथवा मूर्ति की अनुपलब्धता में उनका बड़ा चित्र लगाकर उसपर माल्यापर्ण अथवा पुष्पांजलि अर्पण के साथ) पर स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संविधान निर्माण के सम्बन्ध में मनीषियों एवं विधि वेत्ताओं की भूमिका पर वाद-विवाद, गोष्ठी एवं सेमिनार का आयोजन कराया जाय। इस पखवाड़े में प्रत्येक गैर सरकारी अथवा सरकारी कार्यालयों में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकारों, संविधान के अनुच्छेद 51 के अन्तर्गत उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों एवं अद्यतन संविधान संशोधनों पर व्याख्यानमाला आदि का आयोजन किया जाय।
- 3- यह भी अवगत कराना है कि संविधान दिवस के स्वतंत्रता के अमृत काल के अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त यथा- दिनांक 26 जनवरी, 2025, 15 अगस्त, 2025 एवं 02 अक्टूबर, 2025 जैसी विशिष्ट तिथियों पर पूर्व निर्धारित परम्परागत कार्यक्रमों यथा- ध्वजारोहण / प्रार्थना सभा आदि के पश्चात प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों(चिकित्सा शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/ कृषि शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित) एवं समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में आने वाली घटनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए संविधान निर्माण में विधि-वेत्ताओं तथा मनीषियों की भूमिका, संविधान के अनुच्छेदों, भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त के समायोजन, नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों, सामाजिक सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता तथा संविधान में हुए अद्यतन संशोधनों के आलोक में व्यापक चर्चा, व्याख्यानमाला तथा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाय।
- 4- अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में अग्नतर आवश्यक कार्यवाही कराकर एक सप्ताह के भीतर कार्यक्रम की रूपरेखा संसदीय कार्य विभाग को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(जे०पी० सिंह-॥)
प्रमुख सचिव।